[2019] 7 एस. सी. आर. 335

तेजस्विनी गौड़ और ओआरएस।

वी.

शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 838)

मई 06,2019

[आर. भानुमति और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे.]

हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956: एसएस। 6 , 13 - एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा-बंदी प्रत्यक्षीकरण-रखरखाव

तथ्यों पर, पिता ने हिरासत की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की अपीलकर्ताओं से नाबालिग बच्चे की-नाबालिग बच्चे के चाचा और चाची उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने का निर्देश दिया

नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा पिता को सौंपने के लिए अपीलकर्ता-आयोजित किया गयाः अपीलकर्ता बच्चे की माँ की बहनें और भाई हैं जिनके पास कानून का कोई अधिकार नहीं है

नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा रखें-एस के अनुसार। 6 , पिता नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक है और उसे बच्चे की अभिरक्षा का दावा करने का कानूनी अधिकार है-पिता एकमात्र जीवित प्राकृतिक अभिभावक है और उसने न तो बच्चे को त्याग दिया है और न ही उसकी उपेक्षा की है-बच्चा चला गया। अपीलकर्ताओं की अभिरक्षा में अपरिहार्य परिस्थितियों में, जो कि उसकी माँ और पिता की बीमारी के कारण है-केवल इसलिए कि अपीलकर्ता रिश्तेदार होने के नाते कुछ समय के लिए बच्चे की देखभाल करते थे, वे बच्चे की अभिरक्षा को बनाए नहीं रख सकते हैं-यदि पहले प्रतिवादी को कोई अभिरक्षा नहीं दी जाती है, तो अदालत बच्चे और पिता दोनों को एक-दूसरे के प्यार और स्नेह से वंचित कर देगी, जिसके वे हकदार हैं-क्योंकि बच्चा कम उम्र में है, यानी डेढ़ साल, इस स्तर पर उसकी पसंद का पता नहीं लगाया जा सकता है-बच्चे के कल्याण और पिता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि कल्याण

न्यायालय को उक्त निर्देशों के अधीन रखा जाता है। लिखेंः बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेखन-बाल अभिरक्षा मामलों में रखरखाव-आयोजितः बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेखन एक विशेषाधिकार है

विषय की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवैध या अनुचित निरोध से तत्काल रिहाई का प्रभावी साधन-किसी नाबालिग की अभिरक्षा को गलत तरीके से वंचित किए जाने पर उसे उसके अभिभावक को बहाल करने के लिए रिट अपना प्रभाव बढ़ाता है-बाल अभिरक्षा मामलों में, रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण देने में उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों में योग्य है जहां किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग को हिरासत में लिया जाता है जो उसकी कानूनी अभिरक्षा का हकदार नहीं है-ऐसे मामलों में, सामान्य उपाय केवल हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम या अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत होता है, जैसा भी मामला हो-यह केवल असाधारण मामलों में है, नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेखन एक विशेषाधिकार प्रक्रिया है।

अवैध या अनुचित निरोध से तत्काल रिहाई का एक प्रभावी साधन प्रदान करके विषय की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए। रिट एक नाबालिग की अभिरक्षा को उसके अभिभावक को बहाल करने के लिए भी अपना प्रभाव बढ़ाती है जब उसे गलत तरीके से वंचित कर दिया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग को हिरासत में लेना जो अपनी कानूनी हिरासत का हकदार नहीं है, नाबालिग बच्चे की हिरासत का निर्देश देते हुए रिट देने के उद्देश्य से अवैध हिरासत के बराबर माना जाता है। के लिए

एक ऐसे व्यक्ति से नाबालिग की अभिरक्षा की बहाली जो व्यक्तिगत कानून के अनुसार, उसका कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक नहीं है, उपयुक्त मामलों में, रिट अदालत के पास अधिकार क्षेत्र है। [पैरा 13] [347-एफ-जी; 348-ए] 1.2 बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही अभिरक्षा की वैधता को उचित ठहराने या जांच करने के लिए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक है

माध्यम जिसके माध्यम से बच्चे की अभिरक्षा को अदालत के विवेक के अनुसार संबोधित किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार प्राप्त रिट है।

जो एक असाधारण उपचार है और रिट जारी की जाती है जहां विशेष मामले की परिस्थितियों में, सामान्य उपचार

कानून द्वारा प्रदान किया गया या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है; अन्यथा एक रिट जारी नहीं की जाएगी। बाल अभिरक्षा मामलों में, रिट देने में उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों में योग्य है जहां किसी नाबालिग को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हिरासत में लिया जाता है जो अपनी कानूनी हिरासत का हकदार नहीं है। बाल अभिरक्षा मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बनाए रखने योग्य है जहां यह साबित हो जाता है कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्चे को हिरासत में रखना अवैध था और कानून के किसी भी अधिकार के बिना था। [पैरा 18] [350-सी-एफ] तेजस्विनी गौड़ बनाम।

शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी

1.3 बाल अभिरक्षा मामलों में, सामान्य उपाय केवल हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम या संरक्षक के तहत होता है।

और वार्ड अधिनियम, जैसा भी मामला हो। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों में, अदालत का अधिकार क्षेत्र इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग सामान्य रूप से उस क्षेत्र के भीतर रहता है जिस पर अदालत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करती है। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत जांच और एक रिट द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं।

न्यायालय जो संक्षिप्त प्रकृति का हो। जो महत्वपूर्ण है वह है बच्चे का कल्याण। रिट अदालत में, अधिकारों का निर्धारण केवल शपथ पत्रों के आधार पर किया जाता है। जहां अदालत का विचार है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, अदालत इसका प्रयोग करने से इनकार कर सकती है

असाधारण अधिकार क्षेत्र और पक्षों को दीवानी अदालत से संपर्क करने का निर्देश देना। यह केवल असाधारण मामलों में है, नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा

बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका पर असाधारण अधिकार क्षेत्र। [पैरा 19] [350-एफ-एच; 351-ए]

2.1 तत्काल मामले में, अपीलार्थी माँ की बहनें और भाई हैं जिनके पास कानून का कोई अधिकार नहीं है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बच्चे की अभिरक्षा की मांग करने वाला असाधारण उपाय। [पैरा 20] [351-डी-एफ] 2.2 बाल अभिरक्षा मामलों का निर्णय करते समय अदालत केवल माता-पिता या अभिभावक के कानूनी अधिकार से बंधी नहीं होती है। हालांकि

विशेष कानूनों के प्रावधान माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में नाबालिग का कल्याण सर्वोच्च विचार है। न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार बाल हित और बच्चे का कल्याण होना चाहिए और बच्चे के [2019] 7 एस. सी. आर. को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश। [पैरा 25,26] [353-ई-एफ; जी]

2.3 तत्काल मामले में, पिता जीवित एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक है और उसने न तो बच्चे को छोड़ा है और न ही उसकी उपेक्षा की है। केवल

मामले की विचित्र परिस्थितियों के कारण, बच्चे की देखभाल अपीलार्थियों द्वारा की गई थी-बच्चे की माँ जेड के रिश्तेदार। बच्चा एस अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अपीलार्थियों की हिरासत में चला गया। अपनी गर्भावस्था के पांचवें महीने के दौरान, माँ जेड को चरण 3/4 स्तन कैंसर का पता चला था। जेड ने 14-08-2017 पर बच्चे एस को जन्म दिया। 29-11-2017 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1

बीमारी के कारण ऐंठन के साथ गिर गया। उनके गिरने पर, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें तपेदिक मेनिन्जाइटिस और फुफ्फुसीय तपेदिक का पता चला। उसे रखा गया था लगभग आठ दिनों तक वेंटिलेटर, इस अवधि के दौरान, अपीलकर्ताओं ने जेड और बच्चे की देखभाल की। पहले उत्तरदाता को लंबे समय तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा। 29 11-2017 से जून 2018 तक, Z और S उनके निवास पर रहे।

अपीलार्थी मुंबई और पुणे में हैं। जेड का निधन 17-10-2018 पर हुआ। अपनी बीमारी से उबरने के बाद प्रतिवादी ने बच्चे की अभिरक्षा लेने के लिए पुणे का दौरा किया। लेकिन जब उन्होंने अभिरक्षा सौंपने से इनकार कर दिया, तो पिता को बच्चे की अभिरक्षा के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार बच्चा एस अपरिहार्य परिस्थितियों में अपीलार्थियों की अभिरक्षा में चला गया। केवल

उनके स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों ने पिता को बच्चे की देखभाल करने से रोक दिया। अधिनियम की धारा 6 के तहत, पिता स्वाभाविक अभिभावक है और वह बच्चे की अभिरक्षा का हकदार है और अपीलकर्ताओं को बच्चे की अभिरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस सवाल का निर्धारण करने में कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसे दी जानी चाहिए, सर्वोपरि विचार 'बच्चे का कल्याण' है न कि उस समय लागू क़ानून के तहत माता-पिता के अधिकार। [पैरा 31 और 32] [357-डी-ई; एफ-जी; 358-ए-सी]

2.4 प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण बच्चे का कल्याण निर्धारित किया जाना चाहिए और अदालत ऐसा नहीं कर सकती है।

एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँ। तत्काल मामले में, पहले प्रतिवादी ने न तो बच्चे को छोड़ा है और न ही बच्चे को अपने प्यार और स्नेह के अधिकार से वंचित किया है। परिस्थितियां ऐसी थीं कि माता-पिता की बीमारी के कारण, अपीलकर्ताओं को तेजस्विनी गौड़ बनाम की देखभाल करनी पड़ी।

शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी

बच्चे की अभिरक्षा बनाए रखें। यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि पहला प्रतिवादी बच्चे की देखभाल करने के लिए अयोग्य है, सिवाय इस तर्क के कि उसके पास बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई महिला समर्थन नहीं है। पहला उत्तरदाता अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब स्वस्थ है और उसे अपनी माँ का समर्थन प्राप्त है और वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम है। [पैरा 34] [358-एफ-एच] 2.5 बच्चा केवल डेढ़ साल का है और बच्चा अपने जन्म के बाद लगभग चार महीने तक पिता के साथ रहा। अगर कोई हिरासत नहीं है

प्रथम प्रत्यर्थी को दिए जाने पर, न्यायालय वंचित होगा

एक-दूसरे के बच्चे और पिता दोनों का प्यार और स्नेह जिसके वे हकदार हैं। चूँकि बच्चा कम उम्र यानी डेढ़ साल का है, इसलिए इस स्तर पर उसकी पसंद का पता नहीं लगाया जा सकता है। मार्ग के साथ

समय के साथ, वह अपीलार्थियों के साथ अधिक संबंध विकसित कर सकती है और कुछ समय बाद, वह अपने पिता के पास जाने के लिए अनिच्छुक हो सकती है, जिस स्थिति में, पहला प्रतिवादी अपने बच्चे के प्यार और स्नेह से पूरी तरह से वंचित हो सकता है। बच्चे के कल्याण और पिता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उसकी अभिरक्षा और उसके बाद मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि बच्चे की अभिरक्षा पहले प्रतिवादी को सौंपकर बच्चे के कल्याण की सर्वोत्तम सेवा की जाएगी। [पैरा 35] [359-ए-डी]

2.6 अपीलार्थियों की अभिरक्षा से बच्चे को निकालना और बच्चे की अभिरक्षा पहले प्रतिवादी को सौंपना।

शुरू में कुछ समस्या हो सकती है; लेकिन, समय बीतने के साथ यह बेअसर हो जाएगा। हालांकि, जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता प्रथम प्रत्यर्थी-पिता के घर के वातावरण में, अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 को निर्धारित के अनुसार बच्चे तक पहुंच होगी। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय की पुष्टि उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के अधीन है। [पैरा 36,37] [359-डी-ई; 360-ए]

डॉ. वीणा कपूर बनाम वरिंदर कुमार कपूर (198 3 एस. सी. सी 92; सरिता शर्मा बनाम। सुशील शर्मा (2000) 3 एस. सी. सी. 14; [2000] 1 एस. सी. आर. 915; जी. ईवा मैरी एलिज़ाबथ बनाम। जयराज और अन्य 2005 एससीसी ऑनलाइन मैड 472: ए. आई. आर. 2005 मैड 452; एल. चंद्रन बनाम। श्रीमती वेंकटलक्ष्मी और एक अन्य 1980 एस. सी. सी. ऑनलाइन एपी 80: ए. आई. आर 1981 ए. पी. 1; [2019] 7 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रदीपकुमार करूणाशंकर जोशी (1992) 3 एससीसी 573 ; गौरव नागपाल बनाम. सुमेधा नागपाल (2009) 1 एस. सी. सी. 42 [2008] 16 एस. सी. आर. 396; बेबी सरोजम बनाम। एस.

डेल 6661: आकाशवाणी 2018 डेल 127; ए. वी. वेंकटकृष्णैया और एक अन्य वी. एस. ए. सत्यकुमार 1978 एस. सी. सी. ऑनलाइन 241: ए. आई. आर. 1978 कर 220; गौहर बेगम बनाम। सुगी @ नजमा बेगम और अन्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 93: [1960] एस. सी. आर. 597; श्रीमती मंजू मालिनी शेषाचलम डी/ओ श्री आर. शेषाचलम बनाम। विजय थिरुगनानम एस/ओ

थिवुगनानम और अन्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 621;

पुलपरम्पिल नी फेल्डमैन बनाम। डॉ. चाको पुलपरम्पिल और अन्य 1970 केर 1 (एफ. बी.); कैप्टन। दुष्यंत सोमल वी। श्रीमती. सुषमा सोमल और अन्य (1981) 2 एस. सी. सी. 277; सैयद सलीमुद्दीन बनाम। डॉ. रुखसाना और अन्य (2001) 5 एससीसी 247; निर्मलजीत कौर (2) बनाम। पंजाब और अन्य राज्य (2006) 9 एस. सी. सी. 364: [2005] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 514; सूर्य वडानन बनाम। तमिलनाडु राज्य और

अन्य (2015) 5 एससीसी 450: [2015] 4 एससीआर 903; रुचिका अब्बी और अन्र। वी. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

और दूसरा (2016) 16 एस. सी. सी. 764; कनिका गोयल बनाम। स्टेशन हाउस अधिकारी और एक अन्य के माध्यम से दिल्ली राज्य

(2018) 9 एस. सी. सी. 578; राजीव भाटिया बनाम सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य (1999) 8 एस. सी. सी. 525: [1999] 2 पूरक। एससीआर 280; रुचि माजू बनाम। संजीव माजू (2011) 6 जसवानी गौड़ बनाम।

शेखर जगदीश प्रसाद टेव

वी. राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2017) 8 एस. सी. सी. 454: [2017] 7 एस. सी. आर. 281; लहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली 2019

(5) स्केल 97; नील रतन कुंडू बनाम। अभिजीत कुंडू, (2008) 9 एससीसी 413: [2008] 11 एस. सी. आर. 1111; रोजी जैकब

वी. जैकब ए. चक्रमक्कल, (1973) 1 एससीसी 840: [1973] 3 एस. सी. आर. 918 को संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

81) 3 एस. सी. सी 92

पैरा 6

00] 1 एससीआर 915

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

आर 2005 मैड 452

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

आर 1981 एपी 1

आर 1993 ऑल 230

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

आर 2013 कैल 213

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

10] 1 एससीआर 49

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

08] 11 एससीआर 1111

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

92) 3 एस. सी. सी. 573

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

08] 16 एससीआर 396

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

आर 1992 केर 277

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

आर 2018 डेल 127

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

आर 1978 कर 220

60] एससीआर 597

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

आर 1970 केर 1 (एफ. बी.)

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

81) 2 एस. सी. सी. 277

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

01) 5 एससीसी 247

संदर्भित किया गया है

05] 5 पूरक। एससीआर 514

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

15] 4 एससीआर 903

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

16) 16 एस. सी. सी. 764

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

18) 9 एस. सी. सी. 578

संदर्भित किया गया है

[1999] 2 पूरक। एससीआर 280

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2011] 7 एससीआर 674

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2017] 7 एससीआर 281

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

2019 (5) स्केल 97

[2008] 11 एससीआर 1111

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[1973] 3 एससीआर 918

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 838।

उच्च न्यायालय के 06.02.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 5214 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

रागेंथ बसंत, सुश्री लिज़ मैथ्यू, नवनीत आर., राघव

मेहरोत्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुभाष झा, घनश्याम उपाध्याय, मनोज के. मिश्रा, ज्योति

मिश्रा, सुश्री स्वाति सिन्हा, भीम प्रताप सिंह, मनोज के. मिश्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. यह अपील दिनांकित 06.02.2019 पारित निर्णय से उत्पन्न होती है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के Crl.W.P. संख्या 5214 में और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पहला प्रतिवादी-बच्चे का पिता जीवित माता-पिता है और बच्चे के कल्याण के हित में,

बच्चे की अभिरक्षा पहले प्रतिवादी-पिता को सौंपी जानी चाहिए और अपीलकर्ताओं को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 1-बच्चे के पिता को सौंपने का निर्देश देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जानी चाहिए।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का विवाह

28-05-2006 पर ज़ेलम के साथ अनुष्ठान किया गया था। अपनी गर्भावस्था के पांचवें महीने के दौरान यानी मई 2017 में, ज़ेलम को स्तन कैंसर का पता चला था।

उत्तरदाता नंबर 1 और ज़ेलम को 14-08-2017 पर शिखा नाम की एक लड़की का आशीर्वाद मिला। जब ज़ेलम का इलाज चल रहा था, तब बच्ची शिखा नवंबर, 2017 तक अपने पिता उत्तरदाता नंबर 1 के साथ थी। दुर्भाग्य से, 29-11-2017 पर, उत्तरदाता नंबर 1 को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें तपेदिक मेनिन्जाइटिस और फुफ्फुसीय तपेदिक का पता चला। जब उनका इलाज चल रहा था, अपीलकर्ता संख्या 1-तेजस्विनी गौड़-तेजस्विनी गौड़ बनाम।

शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी [आर. भानुमती, जे.]

ज़ेलम की दो बहनों में से एक और अपीलार्थी संख्या 4-डॉ। तेजस्विनी के पति प्रदीप गौड़ जेलम को शिखा के साथ इलाज जारी रखने के लिए मुंबई के माहिम में अपने आवास पर ले गए। बाद में, जून 2018 में, ज़ेलम को पुणे में शिखा के साथ उसके पैतृक घर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि ज़ेलम के भाई अपीलार्थी नंबर 3-समीर परदेसी का निवास स्थान था। जुलाई 2018 में, उन्हें फिर से मुंबई में अपीलार्थी संख्या 1 के घर में स्थानांतरित कर दिया गया। 17-10-2018 पर, ज़ेलम ने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। बाल शिखा पुणे में अपीलकर्ता संख्या 3 के आवास पर 17-11-2018 तक अपीलार्थियों की अभिरक्षा में बनी रही। प्रतिवादी नंबर 1-पिता को बच्चे की अभिरक्षा से इनकार कर दिया गया और 17-11-2018 पर, उन्होंने दत्तवाड़ी पुलिस स्टेशन, पुणे में शिकायत दी। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1-पिता ने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उत्तरदाता नंबर 1-पिता प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं और विप्रो लिमिटेड के साथ प्रधान सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। 4. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1-पिता, बच्चे के एकमात्र जीवित माता-पिता, बच्चे की अभिरक्षा के हकदार हैं और बच्चे को पिता के प्यार, देखभाल और स्नेह की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखा कि प्रतिवादी संख्या 1 को एक गंभीर बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं ने बच्चे की देखभाल की है और बच्चे के हित और कल्याण में, यह उचित और उचित है कि बच्चे की अभिरक्षा पहले प्रतिवादी को वापस सौंप दी जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे की देखभाल करने में अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता दी जानी चाहिए और इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 को बच्चे तक पहुंच प्रदान की।

5. अपीलार्थियों का तर्क है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट नहीं हो सकती है

जब हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो जारी किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि बच्चे को बच्चे की बीमार मां द्वारा अपीलकर्ताओं को सौंप दिया गया था, जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें बच्चे की देखभाल करनी चाहिए और इसलिए, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है जो केवल अवैध निरोध के मामलों में जारी किया जाता है। यह भी उनका तर्क है कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का प्रश्न पक्षों के कानूनी अधिकारों पर विचार करने पर नहीं, बल्कि इस एकमात्र और प्रमुख मानदंड पर तय किया जाना है कि नाबालिग के हित और कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या होगा और इस तरह, अपीलकर्ता जो एक वर्ष से अधिक समय से बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, वे अकेले ही प्रतिवादी संख्या 1-बच्चे के पिता की वरीयता में बच्चे की अभिरक्षा के हकदार होंगे।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि पहला प्रतिवादी-पिता नाबालिग बच्चे शिखा का स्वाभाविक अभिभावक है और उसे नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का दावा करने का अधिमानी अधिकार है, लेकिन नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है न कि किसी विशेष पक्ष का कानूनी अधिकार, इस मामले में, पिता। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 इस प्रमुख विचार को नहीं हटा सकती है कि नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है और नाबालिग बच्चे के कल्याण पर ही एकमात्र विचार किया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस पर भरोसा किया हैः

(i) डॉ. वीणा कपूर बनाम। वरिंदर कुमार कपूर (1981) 3

एससीसी 92;

((ii) सरिता शर्मा बनाम। सुशील शर्मा (2000) 3 एससीसी 14;

(iii) जी ईवा मैरी एलिज़ाबथ बनाम। जयराज और अन्य 2005 एससीसी

ऑनलाइन मैड 472: ए. आई. आर. 2005 मैड 452;

((iv) एल. चंद्रन बनाम। श्रीमती वेंकटलक्ष्मी और एक अन्य 1980

एससीसी ऑनलाइन एपी 80: ए. आई. आर. 1981 ए. पी. 1;

(v) रविकांत केशरी और एक अन्य v. कृष्ण कुमार गुप्ता और अन्य 1992 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 548: ए. आई. आर. 1993 सभी 230;

(vi) सूरीज़ बनाम। एम. अब्दुल खादर और अन्य 2017 एससीसी ऑनलाइन

कर 4935;

(vii) मुरारी लाल शर्मा और एक अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन 23045: ए. आई. आर. 2013 कैल 212;

(viii) आर. सुरेश कुमार बनाम। के. ए. कावथी और अन्य मनु

टीएन/8529/2006;

(ix) अतहर हुसैन बनाम। सैयद सिराज अहमद और अन्य (2010) 2

एससीसी 654;

(x) नील रतन कुंडू और एक अन्य v. अभिजीत कुंडू (2008) 9

एससीसी 413;

(xi) कीर्तिकुमार महेश्वर जोशी बनाम। प्रदीपकुमार

करुणाशंकर जोशी (1992) 3 एस. सी. सी. 573;

(xii) गौरव नागपाल बनाम। सुमेधा नागपाल (2009) 1 एस. सी. सी. 42; तेजस्विनी गौड़ बनाम।

(xiii) बेबी सरोजम बनाम। एस. विजयकृष्णन नायर एयर 1992 केर

277 ;

(xiv) अभिमन्यु पोरिया बनाम। राजबीर सिंह और अन्य 2018 एससीसी

ऑनलाइन डेल 6661: आकाशवाणी 2018 डेल 127;

(xv) ए. वी. वेंकटकृष्णैया और एक अन्य v. एस. ए.

सत्यकुमार 1978 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 241: ए. आई. आर. 1978 कर 220.

7. इसके विपरीत, प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि हिंदू अल्पसंख्यक की धारा 6 को देखते हुए और

संरक्षकता अधिनियम, 1956, पिता को बच्चों की अभिरक्षा का सर्वोच्च अधिकार है और उसे नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि वह उसका संरक्षक होने के लिए अयोग्य है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उसकी बीमारी और माँ ज़ेलम की बीमारी को देखते हुए, माँ और बच्चा मुंबई और पुणे में थे और बच्चे के कल्याण को देखते हुए, उसे पहले प्रतिवादी को सौंपना पड़ा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पिता हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार एक प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, अपीलकर्ताओं को शिशु की अभिरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और उच्च न्यायालय ने बच्चे की अभिरक्षा का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिया। अपने तर्क के समर्थन में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ कई निर्णयों पर भरोसा रखाः

(i) गौहर बेगम बनाम। सुग्गी @नजमा बेगम और अन्य

ए. आई. आर 1960 एस. सी. 93;

((ii) श्रीमती। मंजू मालिनी शेषाचलम डी/ओ श्री आर.

शेषाचलम बनाम। विजय थिरुग्ननम एस/ओ थिवुग्ननम

& अन्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 621;

((iii) अमोल रमेश पवार बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य

2014 एससीसी ऑनलाइन बम 280;

((iv) मार्गरिट मारिया पुलपराम्पिल नी फेल्डमैन बनाम। डॉ. चाको पुलपरम्पिल और अन्य 1970 केर 1 (एफ. बी.);
(v) तिरुमलाई कुमारन बनाम। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और

नगर हवेली 2003 (2) Mh.L.J। ;

(vi) कैप्टन। दुष्यंत सोमल बनाम। श्रीमती. सुषमा सोमल और अन्य

(1981) 2 एससीसी 277; [2019] 7 एस. सी. आर.

(vii) सैयद सलीमुद्दीन बनाम। डॉ. रुखसाना और अन्य (2001) 5 एससीसी 247;

(viii) निर्मलजीत कौर (2) v. पंजाब और अन्य राज्य (2006) 9 एससीसी 364;

(ix) सूर्य वदनन बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्य (2015) 5 एससीसी 450;

(x) रुचिका अब्बी और अन्र। वी. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दिल्ली) और एक अन्य (2016) 16 एस. सी. सी. 764;

(xi) कनिका गोयल बनाम। स्टेशन हाउस के माध्यम से दिल्ली राज्य अधिकारी और एक अन्य (2018) 9 एससीसी 578।

8. हमने प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पक्षकारों द्वारा दिए गए विवादित निर्णय और विभिन्न निर्णयों का अध्ययन किया है।

9. विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नाबालिग की अभिरक्षा की मांग करते हुए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट में है अपीलार्थियों के बच्चे, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 1-पिता को सौंप दी जाए। विचार के लिए एक और सवाल यह है कि क्या बच्चे की अभिरक्षा प्रतिवादी नंबर 1-पिता को सौंपना नाबालिग बच्चे के हित और कल्याण के लिए अनुकूल नहीं है।

10. हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 यह अधिनियमित करती है कि किसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, नाबालिग के व्यक्ति के साथ-साथ नाबालिग की संपत्ति (संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर) के संबंध में हिंदू नाबालिग का स्वाभाविक अभिभावक पिता होता है, लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में और उसके बाद माँ। पिता एक स्वाभाविक संरक्षक बने रहते हैं, जब तक कि उन्होंने हिंदू होना बंद नहीं किया हो या दुनिया का त्याग नहीं किया हो। अधिनियम की धारा 13 नाबालिग के कल्याण से संबंधित है। धारा 13 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति या घोषणा में

न्यायालय द्वारा हिंदू नाबालिग के संरक्षक के रूप में, नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होगा। धारा 13 (2) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर संरक्षकता का हकदार होगा यदि न्यायालय की राय है कि उसका संरक्षकता नाबालिग के कल्याण के लिए नहीं होगी।

11. बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की रखरखावः - अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कानून अच्छी तरह से तय है कि नाबालिग की अभिरक्षा के प्रश्न पर निर्णय लेने में, नाबालिग का कल्याण तेजस्विनी गौड़ बनाम का है।

शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी [आर. भानुमती, जे.]

सर्वोच्च महत्व और यह कि अपीलकर्ताओं द्वारा नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा को अवैध या अनुचित निरोध नहीं कहा जा सकता है ताकि बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्वीकार किया जा सके जो एक असाधारण उपाय है और उच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा को सौंपने का आदेश देने में गलती की है। पहले उत्तरदाता-पिता के पास। वीना कपूर 1 और सरिता शर्मा 2 और कुछ अन्य मामलों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बच्चों के कल्याण के लिए एक पूर्ण और गहन जांच की आवश्यकता है और इसलिए, उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति देने के बजाय, प्रतिवादी को दीवानी अदालत में उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देना चाहिए था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि हालांकि एक स्वाभाविक अभिभावक होने के नाते पिता को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का अधिमानी अधिकार है, बच्चे के कल्याण और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा बच्चे की अभिरक्षा को अवैध या अनुचित निरोध नहीं कहा जा सकता है ताकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके असाधारण उपाय का आह्वान करने को उचित ठहराया जा सके। 12. इस तर्क का विरोध करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले के दिए गए तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने

के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की असाधारण शक्ति

अधिनियम, प्रत्यर्थी संख्या 1, पिता होने के नाते, स्वाभाविक अभिभावक है और अपीलकर्ताओं को बच्चे की अभिरक्षा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है और अभिरक्षा सौंपने से इनकार करना बच्चे को अवैध रूप से हिरासत में रखने के बराबर है और इसलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट उसके लिए निवारण की मांग करने के लिए उपलब्ध उचित उपाय था। 13. बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेखन एक अवैध या अनुचित निरोध से तत्काल रिहाई का एक प्रभावी साधन प्रदान करके विषय की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक विशेषाधिकार प्रक्रिया है। रिट एक नाबालिग की अभिरक्षा को उसके अभिभावक को बहाल करने के लिए भी अपना प्रभाव बढ़ाती है जब

गलत तरीके से इससे वंचित। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग को हिरासत में लेना, जो अपनी कानूनी हिरासत का हकदार नहीं है, अवैध हिरासत के बराबर माना जाता है। 1 डॉ. वीणा कपूर बनाम वरिंदर कुमार कपूर (1981) 3 एस. सी. सी. 92 2 सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा (2000) 3 एससीसी 14

3 गौहर बेगम बनाम। सुग्गी @नजमा बेगम और अन्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 93 श्रीमती। मंजू मालिनी शेषाचलम डी/ओ श्री आर. शेषाचलम बनाम। विजय थिरुगनानम पुत्र थिवुगनानम और अन्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 621 [2019] 7 एस. सी. आर.

रिट देने के उद्देश्य से, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का निर्देश देना। एक ऐसे व्यक्ति से नाबालिग की अभिरक्षा की बहाली के लिए जो व्यक्तिगत कानून के अनुसार, उसका कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक नहीं है, उपयुक्त मामलों में, रिट अदालत के पास अधिकार क्षेत्र है।

14. गौहर बेगम 3 में, जहाँ माँ को व्यक्तिगत कानून के तहत अपने अवैध नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का कानूनी अधिकार था, रिट जारी की गई थी। गौहर बेगम 3 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अवैध महिला बच्चे की वसूली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका पर सुनवाई की। गौहर

आरोप लगाया कि गौहर की माँ की बहन कनीज बेगम कथित तौर पर गौहर की शिशु कन्या को अवैध रूप से हिरासत में ले रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम कानून के तहत इस स्थिति पर ध्यान दिया कि एक अवैध महिला बच्चे की मां उसकी अभिरक्षा की हकदार है और बच्चे की अभिरक्षा को मां को बहाल करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप बच्चे की अवैध अभिरक्षा होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कनिज को बच्चे की अभिरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और बच्चे को मां को सौंपने से इनकार करने के परिणामस्वरूप पुरानी संहिता की धारा 491 Cr.P.C के अर्थ में बच्चे को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह तथ्य कि गौहर को संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत अधिकार था, धारा 491 Cr.P.C के तहत अपने अधिकार से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गौहर बेगम, प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते, रिट याचिका को बनाए रखने की हकदार हैं और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

अपीलार्थी अंजुम की अभिरक्षा का हकदार है जो उसकी अवैध बेटी है, चाहे अंजुम का पिता कोई भी हो। प्रतिवादी को बच्चे की अभिरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को बच्चे को सौंपने से इनकार करने के परिणामस्वरूप धारा 491 के अर्थ में बच्चे को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। अंग्रेजी मामलों में इस स्थिति को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। शिशुओं के उत्पादन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेखों के संबंध में।

रानी वी. क्लार्क (1857) 7 ईएल और बीएल 186: 119 , ई. आर. 1217 लॉर्ड कैम्पबेल, सी. जे. ने पी. 193 :
" लेकिन पालन-पोषण के लिए संरक्षकता के तहत एक बच्चे के संबंध में, बच्चे को अभिभावक की अभिरक्षा से गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए जाने पर गैरकानूनी रूप से कैद किया जाना चाहिए; और जब उसे सौंप दिया जाता है, तो बच्चे को मुक्त कर दिया जाना चाहिए। तेजस्विनी गौड़ बनाम।

शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी [आर. भानुमती, जे.]

हमारे देश की अदालतों ने लगातार यही दृष्टिकोण अपनाया है। इस उद्देश्य के लिए इसके बाद उद्धृत भारतीय मामलों को संदर्भित किया जा सकता है। धारा 491 की शर्तें स्पष्ट रूप से मामले पर लागू होंगी और अपीलार्थी अपने द्वारा मांगे गए आदेश का हकदार होगा।

8. इसलिए हम सोचते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों का विचार स्पष्ट रूप से गलत था कि बच्चे अंजुम को अवैध रूप से या अनुचित तरीके से हिरासत में नहीं लिया जा रहा था। विद्वान न्यायाधीशों ने अपने विचार के समर्थन में कोई कारण नहीं दिया है और हम स्पष्ट हैं

हमारा मानना है कि यह दृष्टिकोण कानून में अस्थिर है।

10. हम आगे कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपीलार्थी को बच्चे की अभिरक्षा की वसूली के लिए संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए था। निश्चय ही उसे ऐसा करने का अधिकार था। लेकिन उसे संहिता की धारा 491 के तहत बच्चे की अभिरक्षा के आदेश का भी स्पष्ट अधिकार था। यह तथ्य कि उसे अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत अधिकार था, धारा 491 के तहत उसे अधिकार से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है जैसा कि इसके बाद उद्धृत मामलों से दिखाई देगा। (रेखांकित करना जोड़ा गया)

15. 'वीणा कपूर' में, बच्चे की अभिरक्षा का मुद्दा उन स्वाभाविक अभिभावकों के बीच था जो एक साथ नहीं रह रहे थे। बच्चे की मां वीणा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने पति से बच्चे की अभिरक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसके पति की अवैध अभिरक्षा थी

डेढ़ साल के बच्चे का। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित जिला न्यायाधीश को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को हटाने का निर्देश दिया।

16. राजीव भाटिया में, लड़की की माँ प्रियंका द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी अपने पति के बड़े भाई राजीव की अवैध हिरासत में थी। राजीव एक दत्तक विलेख पर निर्भर था। प्रियंका ने दलील दी कि यह एक धोखाधड़ी वाला दस्तावेज था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय को गोद लेने के विलेख की वैधता की जांच करने और फिर बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में किसी न किसी तरह से निष्कर्ष पर पहुंचने का अधिकार नहीं है। 5 राजीव भाटिया बनाम। सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य (1999) 8 एस. सी. सी. 525 [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. मंजू मालिनी 'में जहाँ माँ ने अपने नाबालिग बच्चे तनिष्का की अभिरक्षा के लिए अपनी बहन और बहनोई से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसने बच्चे को माँ को सौंपने से इनकार कर दिया था, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 24. जिस क्षण प्रतिवादी 1 और 2 ने नाबालिग तनिष्का की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को प्राकृतिक और कानूनी अभिभावक को सौंपने से इनकार कर दिया, उनके साथ उसकी अभिरक्षा जारी रखना अवैध निरोध बन जाता है। प्रतिवादी सं. की ओर से ऐसा जानबूझकर किया गया कार्य। 1 और 2 आई. पी. सी. के S.361 के तहत दंडनीय अपहरण के अपराध के बराबर है। इसलिए इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है और प्रतिवादी संख्या। 1 और 2

वे बच्चे तनिष्क की कानूनी हिरासत में हैं। "

18. बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही अभिरक्षा की वैधता को उचित ठहराने या जांच करने के लिए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे की अभिरक्षा को अदालत के विवेक के अनुसार संबोधित किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है जो एक असाधारण उपाय है और रिट जारी की जाती है जहां विशेष मामले की परिस्थितियों में,

कानून द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपचार या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है; अन्यथा एक रिट जारी नहीं की जाएगी। बाल अभिरक्षा मामलों में, रिट देने में उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों में योग्य है जहां किसी नाबालिग को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हिरासत में लिया जाता है जो अपनी कानूनी अभिरक्षा का हकदार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत मुद्दे पर दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, बाल अभिरक्षा मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बनाए रखने योग्य है जहां यह साबित होता है कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्चे को हिरासत में रखना अवैध था और

बिना किसी कानून के अधिकार के।

19. बाल अभिरक्षा मामलों में, सामान्य उपाय केवल हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम या अभिभावक और वार्ड के तहत होता है

जैसा भी मामला हो, कार्य करें। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों में, अदालत का अधिकार क्षेत्र इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग सामान्य रूप से उस क्षेत्र के भीतर रहता है जिस पर अदालत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करती है। महत्वपूर्ण अंतर हैं संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत जांच और एक रिट अदालत द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच जो संक्षिप्त प्रकृति का है। जो महत्वपूर्ण है वह है बच्चे का कल्याण। रिट अदालत में, अधिकारों का निर्धारण केवल शपथ पत्रों के आधार पर किया जाता है। जहां अदालत का विचार है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, वहां अदालत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकती है और पक्षों को दीवानी तेजस्विनी गौड़ v से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है।

शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी [आर. भानुमती, जे.]

अदालत। यह केवल असाधारण मामलों में है, नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका पर असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

20. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी बहन और भाई हैं।

माँ ज़ेलम की जिसके पास नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जबकि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, पहला प्रतिवादी-पिता नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक है और उसे बच्चे की अभिरक्षा का दावा करने का कानूनी अधिकार है। बच्चे की अभिरक्षा के लिए पिता की पात्रता विवादित नहीं है और डेढ़ साल की उम्र का बच्चा अपनी बुद्धिमान प्राथमिकताओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। इसलिए, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण से, तथ्यों में

और इस मामले की परिस्थितियों में, पिता, स्वाभाविक अभिभावक होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बच्चे की अभिरक्षा की मांग करने वाले असाधारण उपाय का आह्वान करना उचित था।

21. बच्चे की अभिरक्षा-विदेशों से हटाकर भारत लाया गयाः - कई फैसलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने उस देश की अदालत द्वारा हिरासत के सवाल पर संक्षिप्त या विस्तृत जांच के संचालन पर विचार किया, जिसमें बच्चे को हिरासत में लिया गया है। हटा दिया गया। कई फैसलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार किया

भारत सरकार या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता, उस बच्चे की अभिरक्षा के सवाल पर जिसे विदेशों से हटा दिया गया था और भारत लाया गया था और नाबालिग बच्चों को उस देश में वापस भेजने का सवाल जहां से उन्हें माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा हटाया गया हो। कई मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि उच्च न्यायालय निरोध की वैधता निर्धारित करने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। हालांकि, अदालत ने यह विचार रखा है कि विदेशी अदालत के आदेश को मान लेना चाहिए

बच्चे का कल्याण। विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, रुचि माजू में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

प्रकृति, जहाँ कथित बंदी के निरोध की वैधता की जांच पक्षों द्वारा दिए गए हलफनामों के आधार पर की जाती है। यहां तक कि इसलिए, कुछ भी उच्च न्यायालय को उन मामलों में विस्तृत जांच शुरू करने से नहीं रोकता है जहां नाबालिग के कल्याण का सवाल है, जो

6 रुचि माजू बनाम। संजीव माजू (2011) 6 एस. सी. सी. 479 [2019] 7 एस. सी. आर.

अपने पैतृक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय के लिए यह सर्वोपरि विचार है। इसलिए, एक उच्च न्यायालय इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है

निरोध, उन मामलों में जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और नाबालिग की अभिरक्षा के बारे में आदेश भी जारी कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत इस तरह की अभिरक्षा के लिए प्रतिद्वंद्वी दावों, यदि कोई हो, को कैसे देखती है।

59. न्यायालय नाबालिग बच्चे को उस देश में वापस भेजने का भी निर्देश दे सकता है जहां से उसे माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा हटाया गया हो; जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रवि चंद्रन (2010) 1 एस. सी. सी. 174 और शिल्पा अग्रवाल (2010) 1 में निर्देश दिया गया था।

अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर। 22. विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर विचार करने के बाद

विदेशी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए भारत लाए गए नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए,

एक आनंद ', यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

बच्चे का कल्याण जो सर्वोपरि विचार का विषय है। विदेशी अदालत का आदेश बच्चे के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसके अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के उपाय का उपयोग केवल विदेशी अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के खिलाफ और उस अधिकार क्षेत्र को निष्पादन न्यायालय में परिवर्तित करें। निर्विवाद रूप से, रिट याचिकाकर्ता ऐसे अन्य उपाय का सहारा ले सकता है जिसकी कानून में अनुमति हो।

वा आनंद राघवन बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2017) 8 एस. सी. सी. 454 तेजस्विनी गौड़ बनाम।

शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी [आर. भानुमती, जे.]

विदेशी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू करने के लिए या बच्चे की अभिरक्षा के लिए भारतीय न्यायालय के समक्ष किसी अन्य कार्यवाही का सहारा लेने के लिए, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

23. सरिता शर्मा 2 में, दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा को लेकर उनकी अलग हुई माँ और पिता के बीच झगड़ा था। द फैमिली

यू. एस. ए. की अदालत ने तलाक की डिक्री पारित करते हुए पिता को अभिरक्षा का अधिकार दिया। जब माँ बच्चों के साथ भारत आई, तो पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने माँ को पिता को अभिरक्षा सौंपने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील में कहा कि उच्च न्यायालय को इसके बजाय

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति देने के लिए पक्षों को उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए था जिसमें बच्चों के हित की पूरी तरह से जांच की जा सके।

24. 'लहरी सखामुरी' में हाल के फैसले में, इस अदालत ने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में सभी फैसलों का उल्लेख किया जब माता-पिता अनिवासी (एनआरआई) होते हैं। हमने विदेश से हटाए गए और पूरा करने के लिए भारत लाए गए बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख किया है और यह इंगित करने के लिए कि अब तक विदेशों से हटाए गए और भारत लाए गए बच्चों में महत्वपूर्ण अंतर है।

25. नाबालिग बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।

विचारः - बाल अभिरक्षा मामलों का निर्णय करते समय अदालत केवल माता-पिता या अभिभावक के कानूनी अधिकार से बंधी नहीं होती है। यद्यपि विशेष कानूनों के प्रावधान माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में नाबालिग का कल्याण सर्वोच्च विचार है। न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार बच्चे का हित और बच्चे का कल्याण होना चाहिए।

26. कई निर्णयों का उल्लेख करने और यह देखने के बाद कि नील रतन कुंडू में बाल अभिरक्षा मामलों से निपटने के दौरान, बच्चे के कल्याण पर सर्वोपरि विचार किया जाना चाहिए और बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 49. गोवर्धन लाल बनाम। गजेंद्र कुमार, ए. आई. आर. 2002 राज 148 उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि पिता एक नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक है और इसलिए उसे एक अधिमानी अधिकार है

8 लहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली 2019 (5) स्केल 97 9 9 नील रतन कुंडू बनाम। अभिजीत कुंडू (2008) 9 एस. सी. सी. 413 [2019] 7 एस. सी. आर.

अपने बेटे की अभिरक्षा का दावा करता है, लेकिन एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है न कि किसी विशेष पक्ष का कानूनी अधिकार। 1956 के अधिनियम की धारा 6 इस प्रमुख विचार का स्थान नहीं ले सकती है कि नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है। यह भी देखा गया कि एकमात्र बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए

इसे ध्यान में रखते हुए, बच्चे की इच्छाओं का पता लगाना उचित होगा कि वह किसके साथ रहना चाहता है। 50. पुनः, एम. के. हरि गोविंदन बनाम। ए. आर. राजाराम, ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. राजाराम, ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. राजाराम, ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. राजाराम, ए. आई. आर. राजाराम, ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई. आर. 2003-ए. आई नाबालिग के कल्याण के लिए मानव स्पर्श प्राथमिक है क्योंकि अन्य सामग्रियों को या तो बनाया जा सकता है

पक्षकार स्वयं या उनकी सुविधा के अनुरूप वकील की सलाह पर।

51. कमला देवी बनाम। एच. पी. ए. आई. आर. राज्य 1987 एच. पी. 34 न्यायालय ने कहाः

" 13. ..... न्यायालय ने अपने क्षेत्र में बाल अभिरक्षा मामलों का निर्णय करते हुए

अंतर्निहित और सामान्य अधिकार क्षेत्र माता-पिता या अभिभावक के केवल कानूनी अधिकार से बाध्य नहीं है। यद्यपि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायालय के अपने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के रास्ते में खड़ा हो सकता है जो ऐसे मामलों में उत्पन्न होता है जो माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को उचित महत्व देता है।

एक बच्चे के सामान्य आराम जैसी परिस्थितियाँ,

संतुष्टि, बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक विकास, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और सामान्य रखरखाव और अनुकूल परिवेश। इन मामलों का निर्णय अंततः उस बच्चे के सर्वोत्तम हितों के बारे में अदालत के दृष्टिकोण पर किया जाना चाहिए जिसके कल्याण के लिए आवश्यक है कि वह माता-पिता में से किसी एक या दूसरे की हिरासत में हो।

52. हमारे निर्णय में, एक बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित कानून काफी अच्छी तरह से तय किया गया है और यह हैः एक कठिन और जटिल प्रश्न का निर्णय लेने में

नाबालिग की अभिरक्षा के संबंध में, विधि न्यायालय को सुसंगत कानूनों और उनसे प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों का निर्णय केवल कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करके नहीं किया जा सकता है। यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानव स्पर्श से हल करने की आवश्यकता है।

अश्विनी गौड़ बनाम। शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी [आर. भानुमती, जे.]

अभिरक्षा मामलों से निपटने के दौरान एक अदालत न तो बाध्य होती है

कानून द्वारा और न ही साक्ष्य या प्रक्रिया के सख्त नियमों द्वारा और न ही

पूर्ववर्ती। नाबालिग के उचित अभिभावक का चयन करने में, बच्चे का कल्याण और कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए। अभिभावक के चयन में, न्यायालय माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है और बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व देने के लिए बाध्य है। लेकिन ऊपर और ऊपर शारीरिक आराम, नैतिक और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे समान रूप से, या हम कह सकते हैं, और भी अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक और अपरिहार्य विचार हैं। यदि नाबालिग एक बुद्धिमान वरीयता या निर्णय बनाने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो अदालत को इस तरह की प्राथमिकता पर भी विचार करना चाहिए, हालांकि अंतिम निर्णय अदालत के पास होना चाहिए कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।

27. भरोसा गौरव नागपाल पर रखा गया था, जहाँ

ई. एम. ई. न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 32. मैकग्राथ में, (1893) 1 Ch 143, लिंडले, एल. जे. ने कहाः

(सीएच पी। 148)

अदालत के विचार के लिए प्रमुख मामला बच्चे का कल्याण है। लेकिन बच्चे के कल्याण को केवल धन से नहीं मापा जाना चाहिए और न ही केवल शारीरिक आराम से। 'कल्याण' शब्द को व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक या धार्मिक कल्याण के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण पर भी विचार किया जाना चाहिए। न ही स्नेह का बंधन हो सकता है

उपेक्षा की गई। " (जोर दिया गया)

50. जब अदालत को माता-पिता द्वारा की गई परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ता है, तो हर बार उसे मांगों को उचित ठहराना पड़ता है। अदालत को इस मुद्दे को न केवल कानूनी आधार पर देखना है, बल्कि ऐसे मामलों में उन मुद्दों को तय करने के लिए मानवीय कोण भी प्रासंगिक हैं। अदालत तब इस बात पर जोर नहीं देती कि पक्ष क्या कहते हैं, उसे कहना पड़ता है एक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें जिसका उद्देश्य नाबालिग के कल्याण के लिए हो। जैसा कि हाल ही में मौसमी मोइत्रा गांगुली मामले (2008) में देखा गया है।

7 एस. सी. सी. 673, अदालत को बच्चे की सामान्य संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास को उचित महत्व देना है।

और अनुकूल परिवेश लेकिन शारीरिक सुख-सुविधाओं से ऊपर, नैतिक और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वे बराबर हैं। यदि दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

51. अधिनियम की धारा 13 में प्रयुक्त "कल्याण" शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए और इसे व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण को अदालत के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण के साथ भी तौलना चाहिए। हालाँकि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदालत के अपने माता-पिता के अधिकार का प्रयोग करने के रास्ते में खड़ा हो सकता है। ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली अधिकारिता।

28. यह तर्क देते हुए कि हालांकि पक्षकारों के दावे वैध हैं, रोज़ी में बच्चे के हित और कल्याण के अधीन हैं

1 1, इस न्यायालय ने कहा है किः

" 7 ..... जिस सिद्धांत पर अदालत को अभिभावक की योग्यता का फैसला करना चाहिए, वह मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता हैः ((i) पिता की योग्यता या अन्यथा संरक्षक होने के लिए, और (ii) पिता के हितों के लिए

नाबालिगों को "।

.....

" 15. बच्चे केवल संपत्ति नहीं हैं: न ही वे केवल खेल-अपने माता-पिता के लिए चीजें। आधुनिक परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में अपने बच्चों के भाग्य और जीवन पर माता-पिता का पूर्ण अधिकार, मनुष्य के रूप में उनके कल्याण के विचारों पर निर्भर हो गया है, ताकि वे सामान्य रूप से संतुलित तरीके से बड़े होकर समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें और माता और पिता के बीच विवाद की स्थिति में संरक्षक न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह माता-पिता के बीच एक न्यायपूर्ण और उचित संतुलन बनाए।

नाबालिग बच्चों के कल्याण की आवश्यकताएँ और उन पर उनके संबंधित माता-पिता के अधिकार। विद्वानों का दृष्टिकोण

एकल न्यायाधीश, हमारे विचार में, सही था और हम उससे सहमत हैं। अपील पर लेटर्स पेटेंट बेंच ने हमें ऐसा लगता है कि उसे उन आधारों पर उलटने में गलती की है जिनकी हम सराहना करने में असमर्थ हैं।

29. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आश्रित जी ईवा मैरी एलिज़ाबथ 1 2 को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए रखा है।

› जैकब वी। जैकब ए. चक्रमक्कल, (1973) 1 एससीसी 840 वा मैरी एलिज़ाबथ बनाम। जयराज और अन्य 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 472 तेजस्विनी गौड़ बनाम।

शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी [आर. भानुमती, जे.]

याचिकाकर्ता। बच्चे के पिता, जिन्होंने बच्चे को स्वाभाविक अभिभावक के रूप में छोड़ दिया है, को हिरासत में लेने से मना कर दिया गया था। 30. कीर्तिकुमार महेश्वर जोशी 1 3 में, बच्चों के पिता आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत आरोप का सामना कर रहे थे और बच्चों ने अपने मामा के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की।

उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और बच्चों ने अपने पिता के साथ नहीं जाने की इच्छा व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों को उनकी भलाई को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान पाया और मामले की परिस्थितियों में, उनकी हिरासत के बजाय मामा को सौंप दी।

पिता।

31. हाथ में मामले में, पिता जीवित एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक है और उसने न तो बच्चे को छोड़ा है और न ही उसकी उपेक्षा की है। केवल मामले की विषम परिस्थितियों के कारण, अपीलार्थियों द्वारा बच्चे की देखभाल की गई थी। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत मामले तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं और पिता को बच्चे की अभिरक्षा से इनकार करने के लिए लागू नहीं किए जा सकते हैं।

32. बच्चा शिखा अपीलार्थियों की अभिरक्षा में चला गया

अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 मृतक ज़ेलम की बहनें हैं। अपीलार्थी नं. 4 अपीलार्थी नं. 1 का पति है। वे तीनों माहिम, मुंबई में रहते हैं। अपीलार्थी नं. 3 ज़ेलम का विवाहित भाई है जो पुणे में रहता है। अपनी गर्भावस्था के पांचवें महीने के दौरान, ज़ेलम को चरण 3/4 स्तन कैंसर का पता चला था। ज़ेलम

14-08-2017 पर बच्चे शिखा को जन्म दिया। 29-11-2017 पर, प्रतिवादी नंबर 1 बीमारी के कारण ऐंठन के साथ गिर गया। उनके गिरने पर, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें तपेदिक मेनिन्जाइटिस और फुफ्फुसीय तपेदिक का पता चला। उन्हें लगभग आठ दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया था, इस अवधि के दौरान, अपीलकर्ताओं ने ज़ेलम और बच्चे की देखभाल की। पहले उत्तरदाता को लंबे समय तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा। 29-11-2017 से जून 2018 तक, ज़ेलम और शिखा मुंबई में अपीलार्थी के आवास पर रहे। इस दौरान

1 3 कीर्तिकुमार महेशंकर जोशी बनाम। प्रदीपकुमार करुणाशंकर जोशी (1992) 3 एस. सी. सी. 573

इस अवधि में, ज़ेलम की नसबंदी सर्जरी हुई। जेलम को बाद में कैंसर हो गया और उन्होंने पुणे में एक डॉक्टर से इलाज कराने का फैसला किया और इसलिए, शिखा के साथ पुणे में अपीलकर्ता नंबर 3 के घर में स्थानांतरित हो गए और जेलम का 17-10-2018 पर निधन हो गया। अपनी बीमारी से उबरने के बाद, प्रतिवादी बच्चे की अभिरक्षा लेने के लिए पुणे गया। लेकिन जब उन्होंने अभिरक्षा सौंपने से इनकार कर दिया, तो पिता को बच्चे की अभिरक्षा के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार बालक शिखा अपरिहार्य परिस्थितियों में अपीलार्थियों की अभिरक्षा में चली गई। केवल उनके स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियाँ ही पिता को बच्चे की देखभाल करने से रोकती थीं। अधिनियम की धारा 6 के तहत, पिता स्वाभाविक अभिभावक है और वह बच्चे की अभिरक्षा का हकदार है और अपीलकर्ताओं को बच्चे की अभिरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस सवाल का निर्धारण करने में कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसे दी जानी चाहिए, सर्वोपरि विचार 'बच्चे का कल्याण' है न कि उस समय लागू क़ानून के तहत माता-पिता के अधिकार।

33. जैसा कि रोजी जैकब 11 में पहले देखा गया है, पिता की फिटनेस पर विचार किया जाना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए और सभी प्रासंगिक मामलों के संदर्भ में मुख्य रूप से अपने नाबालिग बच्चों के कल्याण के संदर्भ में तौला जाना चाहिए।

परिस्थितियाँ। बच्चे के कल्याण में नैतिक पालन-पोषण, अभिभावक का आर्थिक कल्याण, बच्चे का सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न कारक शामिल होंगे। बच्चा शिखा ने अपनी माँ को खो दिया जब वह सिर्फ चौदह महीने की थी और अब बिना किसी वैध कारण के अपने पिता के प्यार से वंचित हो रही है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने बताया है, पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर काम कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर है। 34. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण बच्चे के कल्याण का निर्धारण किया जाना चाहिए और अदालत एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है। वर्तमान मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने न तो त्याग किया है

न ही बच्चे ने अपने प्यार और स्नेह के अधिकार से वंचित किया है। परिस्थितियां ऐसी थीं कि माता-पिता की बीमारी के कारण अपीलकर्ताओं को कुछ समय के लिए बच्चे की देखभाल करनी पड़ी। केवल इसलिए कि रिश्तेदार होने के नाते अपीलकर्ता कुछ समय के लिए बच्चे की देखभाल करते थे, वे बच्चे की अभिरक्षा को बनाए नहीं रख सकते। यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि पहला प्रतिवादी बच्चे की देखभाल करने के लिए अयोग्य है, सिवाय इस तर्क के कि उसके पास बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई महिला समर्थन नहीं है। पहला उत्तरदाता अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब स्वस्थ है।

और अपनी माँ का समर्थन होने के कारण वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम है।

तेजस्विनी गौड़ बनाम। शेखर जगदिश प्रसाद तिवारी [आर. भानुमती, जे.]

35. अपीलकर्ताओं का कहना है कि बच्चे को पहले प्रतिवादी को सौंपने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कुछ वर्षों के बाद अभिरक्षा सौंपी जा सकती है। बच्चा केवल डेढ़ साल का है और बच्चा अपने जन्म के बाद लगभग चार महीने तक पिता के साथ रहा। यदि पहले प्रतिवादी को कोई अभिरक्षा नहीं दी जाती है, तो अदालत बच्चे और पिता दोनों को एक-दूसरे के प्यार और स्नेह से वंचित कर देगी, जिसके वे हकदार हैं। चूंकि बच्चा कम उम्र यानी डेढ़ साल का है, इसलिए इस स्तर पर उसकी पसंद का पता नहीं लगाया जा सकता है। समय के साथ, वह हो सकता है

अपीलार्थियों के साथ अधिक संबंध विकसित करें और कुछ समय के बाद, वह अपने पिता के पास जाने के लिए अनिच्छुक हो सकती है, जिस स्थिति में, पहला प्रतिवादी अपने बच्चे के प्यार और स्नेह से पूरी तरह से वंचित हो सकता है। बच्चे के कल्याण और पिता के उसकी अभिरक्षा रखने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि बच्चे की अभिरक्षा पहले प्रतिवादी को सौंपने से बच्चे के कल्याण की सर्वोत्तम सेवा होगी।

36. बच्चे को अपीलार्थियों की अभिरक्षा से दूर ले जाने और बच्चे की अभिरक्षा पहले प्रतिवादी को सौंपने से शुरू में कुछ समस्या हो सकती है; लेकिन, हमारे विचार में, इसे अप्रभावी बना दिया जाएगा।

समय की पारगमन। हालाँकि, जब तक बच्चा पहले प्रतिवादी-पिता के घर के वातावरण में बस नहीं जाता है, तब तक अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 को शुरू में पूरे दिन के लिए तीन महीने की अवधि के लिए बच्चे तक पहुँच होगी, यानी 08.00 AM से 06.00 PM पहले प्रतिवादी के निवास पर।

उत्तरदाता। प्रथम प्रत्यर्थी अपने घर में रहने के ऐसे समय के दौरान अपीलार्थी संख्या 2 और 3 की सुविधा सुनिश्चित करेगा। तीन महीने के बाद, अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 पहले प्रतिवादी के समय बच्चे से मिलने जाएँगे।

शनिवार और रविवार को सुबह 10.00 से 04.00 शाम तक घर। इसके बाद

बच्चे के चार साल पूरे होने पर, अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 को हर शनिवार और रविवार को बच्चे को पिता के निवास से सुबह 11.00 से 05.00 शाम तक ले जाने की अनुमति है और बच्चे की अभिरक्षा पहले प्रतिवादी-पिता को 05.00 शाम से पहले वापस सौंप देंगे। यात्रा अधिकारों के किसी भी और संशोधन के लिए, दोनों पक्षों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है। 37. उच्च न्यायालय के 2018 के Crl.W.P. संख्या 5214 में दिनांकित 06.02.2019 के विवादित फैसले की पुष्टि उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के अधीन की गई है। अपीलकर्ता बच्चे की अभिरक्षा पहले प्रतिवादी को सौंप देंगे-पिता को 10.05.2019 पर 10.00 सुबह निवास 360 पर।

प्रथम उत्तरदाता में से ए। बालक के हित को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्ष न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। इस अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

निधि जैन